


राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.18 (91 iv) आ0कृ0./वा0पू/टैक्सी/2021-22/ 310-17

दिनांक 07/09/2024

संशोधित आदेश


वित्त विभाग के आईडी न0 102103375 दिनांक 26.07.2021 के संबध में वित्त (समन्वय) विभाग के परीपत्र क्रमांक प.11 (01) वित्त/समन्वय/2018 जयपुर दिनांक 12.04.2019 में जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसरण में आंशिक संशोधन कर कृषि उपजिला कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि0) गंगापुरसिटी के स्थान पर सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) श्रीगंगानगर पढा जावे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये संचालन वित्त बजट विभाग के सर्कुलर क्रमांक एफ-2 (04) एफडी/एसपीएसी/2017 दिनांक 31.03.2021 में वर्णित प्रावधानों के तहत Required On as and when basis पर लेने कि सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है। की वाहन किराया राशि का भुगतान कृषि विभाग द्वारा संचालित की जा रही केन्द्रिय परिवर्तित योजनाओ (सीएसएस) में उपलब्ध बजट से किया जायेगा।


(डॉ.ओम प्रकाश)
आयुक्त कृषि

क्रमांक प.18 (91 iv) आ0कृ0./वा0पू/टैक्सी/2021-22/ 310-17
प्रतिलिपि को निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक 7/09/2024

- 1 निजी सचिव कृषि आयुक्त।
- 2 संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड भरतपुर, श्रीगंगानगर।
- 3 सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) श्रीगंगानगर, गंगापुरसिटी।
- 4 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक) कृषि आयुक्तालय को ऑनलाईन सम्प्रेषण हेतु
- 5 वाहन पूल शाखा पत्रावली।


(के0सी0मीणा)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)